संख्या-202/2026/2241/22-2-2024-17(761)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी खुशैदा खातून पुत्री इसराइल अहमद, निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-38640/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-10.12.2024, दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी खुशैदा खातून पुत्री इसराइल अहमद, जो गौतमचक मठिया, थाना-रामपुर कारखाना, जनपद-देवरिया की निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 23-11-2012 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल छिडककर शाकिरा खातून को आग लगा दी जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 29-12-2012 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-296/2013, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, देवरिया के दण्डादेश दिनांक 19.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-08-2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष, 07 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 10 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा अपनी आख्या में महिला बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने किन्तु उम्र को देखते हुए भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, महिला बन्दी एवं वादी मुकदमा आपस में रिश्तेदार है, अत: समयपूर्व रिहाई से वादी पक्ष आक्रोशित होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सामान्य होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष महिला बन्दी खुशैदा खातून पुत्री इसराइल अहमद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 20-11-2024 के अनुसार महिला

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

//shasanadesh.up.gov.in

बन्दी की 30 वर्ष, 08 माह, 11 दिन की आयु एवं महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 20.11.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष 07 माह 25 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 10 माह 13 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने, स्वस्थ्य की दशा सन्तोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी खुशैदा खातून (बन्दी संख्या-2281) पुत्री इसराइल अहमद, निवासी जनपद-देवरिया की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-202/2026/2241(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।